नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार

आज़ादी का अमृत महोत्सव

योगी आदित्य नाथ
माननीय मुख्यमंत्री, उ.प्र.

पंजीकरण पुस्तिका
विशेष पंजीकरण–2022

प्रधानमंत्री आवास योजना–(शहरी)
सबके लिए आवास

भागीदारी में किफायती (ए.एच.पी.)
घटक के अर्न्तगत चयनित पात्र
लाभार्थियों हेतु (जी+3) प्रकार के
फ्लैट/भवन प्राप्त करने का
स्वर्णिम अवसर

प्रदेश के 17 जनपदों में पंजीकरण प्रारम्भ

पंजीकरण
15 अगस्त, 2022
से
15 अक्टूबर, 2022
तक

Rera Website : www.up-rera.in

IS 15700 : 2018
सेवोत्तम प्रमाणित

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ.
Website : www.upavp.in, E-mail : info@upavp.com
Toll Free No. : 1800-180-5333 जन सुविधा केन्द्र 0522-2236803

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700 SQMS

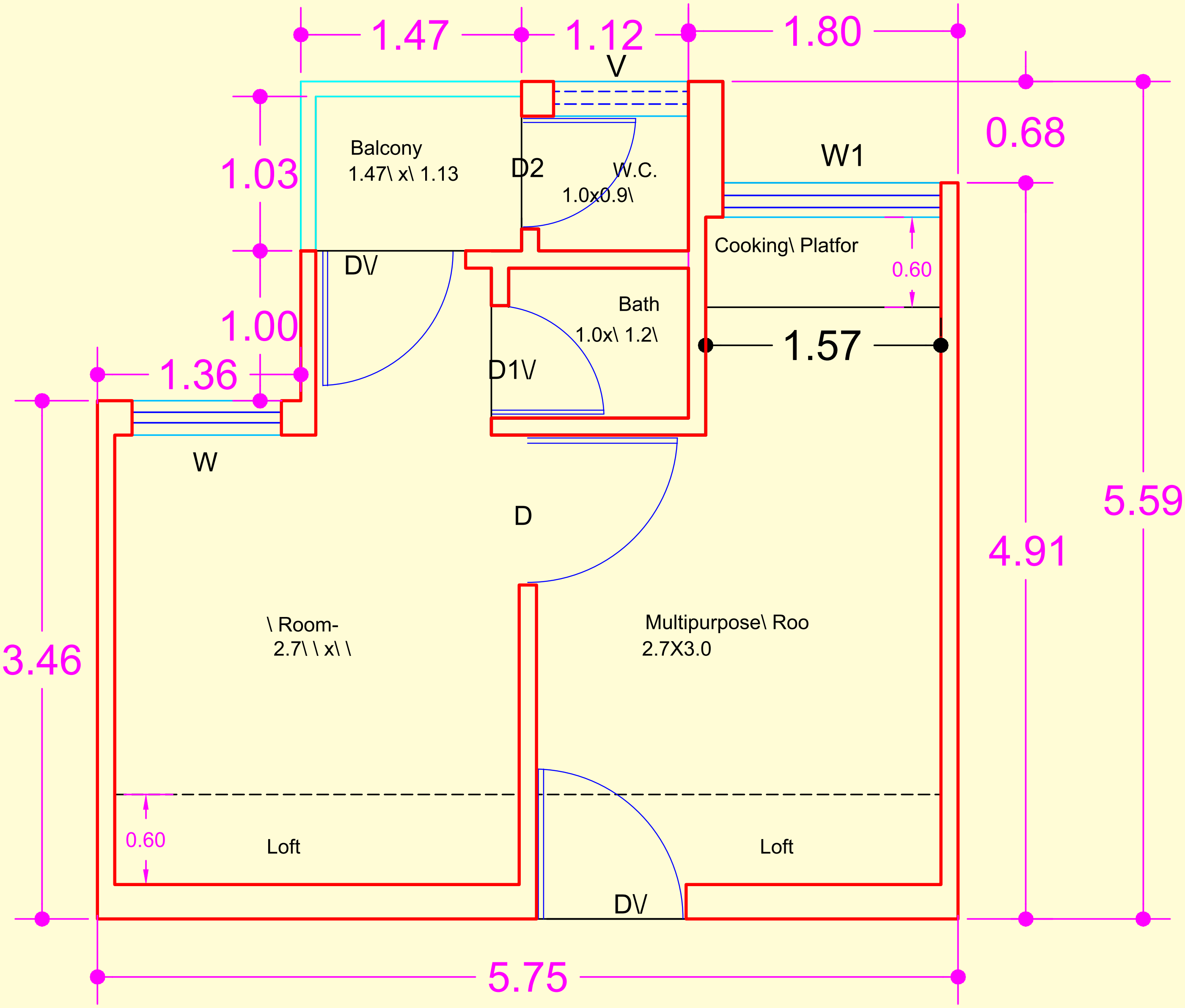

UNIT PLAN

CARPET\ AREA\ =22.77\ SQ
SUPER\ AREA\ OF\ ONE\ UNIT\ =\ 34.
HT.\ FLOOR\ TO\ CEILING\ =2

OPENING:-

S.N.	TYPE	WIDTH	HEIGHT	REMARKS
1.	DV	900	2700	ANGLE\ IRON\ SINGLE\ LEAF\
2.	D1V	750	2700	ANGLE\ IRON\ SINGLE\ LEAF\
3.	D	900	2100	ANGLE\ IRON\ SINGLE\ LEAF\
4.	D1	750	2100	ANGLE\ IRON\ SINGLE\ LEAF\
5.	W	1200	1200	Z-SECTION\ SINGLE\ 3\ LEAF\ WITH\
6.	W1	1000	1050	Z-SECTION\ SINGLE\ 2\ LEAF\ WITH\
7.	V	600	600	Z-SECTION\ SINGLE\ LEAF\ WITH\ G

BLOCK\ PLAN\ F
PM\ AWAS\ \ YO

IS 15700 : 2018
सेवोत्तम प्रमाणित

"प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सबके लिए आवास"

उद्देश्य

- ❖ भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा संसद के संयुक्त सत्र में अपने अभिभाषण में यह घोषणा की गई थी कि राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने तक प्रत्येक परिवार के पास शुद्ध पेय जल, शौचालय, विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं के साथ पक्का मकान होगा।

- ❖ भारत के मा0 प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास उपलब्ध कराने की परियोजना प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के विभिन्न घटकों में से "भागीदारी में किफायती आवास" (ए0एच0पी0) घटक के अन्तर्गत, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विभिन्न जनपदों में संचालित परिषद की आवासीय योजनाओं में (जी+3 प्रकार) चार मंजिले भवनों को, प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है।

- ❖ उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद का परिचय : उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से कार्यान्वयन करते हुए प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यो में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया था।

भवनों/फ्लैटों की योजना के मुख्य आकर्षण

1. सुपर एरिया – 34.07 वर्ग मीटर।
2. कारपेट एरिया – 22.77 वर्ग मीटर।
3. दो कमरा, एक किचन स्पेस, एक बाथरूम, एक शौचालय एवं बालकनी।
4. रु0 5,000/–(रुपये पांच हजार मात्र) देकर फ्लैट/ भवन का पंजीयन कराया जा सकता है।
5. प्रति भवन की कुल लागत – रु0 6.00 लाख
6. केन्द्र सरकार का अंशदान – रु0 1.50 लाख
7. राज्य सरकार का अंशदान – रु0 1.00 लाख

   सरकार का कुल अंशदान योग – रू0 2.50 लाख
8. चयनित पात्र लाभार्थी द्वारा वहन की जाने वाली धनराशि रु0 3.50 लाख प्रति भवन/फ्लैट।
9. रु0 5,000/– पंजीकरण धनराशि के उपरान्त शेष धनराशि सब्याज 05 वर्षों में अर्थात 60 मासिक किश्तों में भुगतान की सुविधा।

❖ पंजीकृत लाभार्थी द्वारा आवंटन पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से 02 माह में सम्पूर्ण अवशेष धनराशि जमा किये जाने पर कोई ब्याज देय नही होगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) – सबके लिए आवास (जी+3) प्रकार के फ्लैट/भवन का विशेष पंजीकरण–2022

पंजीकरण प्रारम्भ दिनांक 15.08.2022 से दिनांक 15.10.2022 तक

पंजीकरण हेतु फ्लैट/भवनों का विवरण

क्र. सं.	योजना/शहर का नाम	फ्लैटों/भवनों की संख्या (जी+3)	सुपर एरिया (वर्ग मीटर)	कार्पेट एरिया (वर्ग मीटर)	प्रति फ्लैट/भवन की कुल लागत रु. लाख में	भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाने वाली धनराशि (रु. लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रुपये में)	शेष धनराशि (रुपये में)	फ्लैट/भवन में मासिक किश्तों की संख्या एवं प्रति किश्त की धनराशि	
									संख्या	धनराशि (रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	हाथरस (ग्राम–रमनपुर तहसील–सदर)	48	34.07	22.77	6.00	2.50	5000	345000	60	5917.00
2	मैनपुरी (औडेण्य पडरीया)	48	34.07	22.77	6.00	2.50	5000	345000	60	5917.00
3	मुरादाबाद मझोला योजना संख्या–4 सेक्टर–15	144	34.07	22.77	6.00	2.50	5000	345000	60	5917.00
4	इटावा, स्पिनिंग मिल योजना	48	34.07	22.77	6.00	2.50	5000	345000	60	5917.00
5	फतेहपुर (अन्दौली विनोबानगर)	96	34.07	22.77	6.00	2.50	5000	345000	60	5917.00
6	बांदा ग्राम–लडाकापुरवा	48	34.07	22.77	6.00	2.50	5000	345000	60	5917.00
7	कानपुर देहात ग्राम–आलमचन्द्रपुर तहसील–अकबरपुर	48	34.07	22.77	6.00	2.50	5000	345000	60	5917.00
8	कन्नौज (छिबरामऊ)	48	34.07	22.77	6.00	2.50	5000	345000	60	5917.00
9	हरदोई (तत्यौरा, परगना–बावन)	96	34.07	22.77	6.00	2.50	5000	345000	60	5917.00

10	रायबरेली (ग्राम–देवानन्दपुर तहसील–सदर)	96	34.07	22.77	6.00	2.50	5000	345000	60	5917.00
11	मेरठ जागृति विहार योजना सेक्टर–8ए	96	34.07	22.77	6.00	2.50	5000	345000	60	5917.00
12	गाजियाबाद मण्डोला विहार योजना से.–19	624	34.07	22.77	6.00	2.50	5000	345000	60	5917.00
13	गोण्डा सिविल लाइन्स योजना	48	34.07	22.77	6.00	2.50	5000	345000	60	5917.00
14	बहराइच (भिन्ना मार्ग योजना)	48	34.07	22.77	6.00	2.50	5000	345000	60	5917.00
15	मऊ (बढ़ुआ गोदाम) तहसील–सदर	48	34.07	22.77	6.00	2.50	5000	345000	60	5917.00
16	बलरामपुर (ग्राम–धूधुलपुर)	48	34.07	22.77	6.00	2.50	5000	345000	60	5917.00
17	बाराबंकी ग्राम–बड़ेल, तहसील–नवाबगंज	48	34.07	22.77	6.00	2.50	5000	345000	60	5917.00
	कुल योग	1680								

पंजीकरण हेतु पात्रता :

1. आवेदक भारत का नागरिक हो।
2. आवेदक को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास (ए0एच0पी0) घटक के अन्तर्गत पात्रता की सभी शर्तें पूर्ण करते हों।
3. पंजीकरण आवेदन प्रपत्र जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि को उसकी आयु–18 वर्ष से कम न हो।
4. दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के भवनो हेतु अधिकतम रू0 3,00,000.00 (रूपये तीन लाख मात्र) तक की वार्षिक आय वाले परिवार ही पात्र होंगे। योजना प्रारम्भ होने की तिथि से 6 माह के पूर्व जारी हुये आय प्रमाण पत्र मान्य नही होगा। आवेदनकर्ता को राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से निर्गत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. लाभार्थी परिवार (मुखिया) में पति–पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होंगे।
6. आवेदक के पास उसके नाम से अथवा उसके परिवार (पति / पत्नी / अविवाहित बच्चे) के किसी सदस्य के नाम से भारत के किसी भी भाग में पक्का मकान (सभी मौसम रिहायसी इकाईयाँ) नही होनी चाहिए।
7. आरक्षित / विकलांग श्रेणी के लाभार्थी को जिलाधिकारी द्वारा जारी जाति / दिव्यांग प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास (ए0एच0पी0) घटक के अन्तर्गत केन्द्र सरकार / सूडा / डूडा में आवेदक / लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की यूनिक आई0डी0 संख्या (जो आवंटित हुई है) तथा आधार नम्बर अंकित होना चाहिए।

9. पंजीकरण हेतु परिवार की महिला, मुखिया अथवा परिवार के पुरूष मुखिया और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम से होना चाहिए और केवल उन मामलों में, जब परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं है, आवास को परिवार के पुरूष मुखिया के नाम किया जा सकता है।

10. आवेदक / लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)–सबके लिए आवास परियोजना के ए0एच0पी0 घटक में पंजीकृत हों।

11. अपूर्ण एवं अधूरे आवेदन–पत्र पात्रता हेतु वैध मान्य नहीं होंगे।

12. यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य / मिथ्या पाया जाता है, तो परिषद को उसके पंजीकरण / आवंटन एवं निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि नियमानुसार जब्त कर ली जायेगी।

विशेष नोट :–

- आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिए गये आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देशों का भली–भाँति अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न हो। अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
- आवेदक यदि केन्द्र सरकार / सूडा / डूडा / नगर निगम / नगर पालिका की पात्रता सूची में नहीं पाया जाता है तो आवंटन / पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।
- पंजीकरण / आवंटन के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार एवं उ0प्र0 सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी किसी भी प्रकार के निर्गत आदेश / दिशा–निर्देश बाध्यकारी होगें।
- भवनों की सीलिंग कास्ट बढ़ाये जाने एवं अनुदान दिये जाने की धनराशि के संबंध मे शासनादेश में संशोधन / पुनरीक्षित आदेश बाध्यकारी होंगे।
- योजना से संबंधित किसी भी बिन्दु पर विवाद की स्थिति मे, आवास आयुक्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, का निर्णय अंतिम होगा।
- केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा इस योजना के संबंध में दिये जाने वाले सभी दिशा निर्देश मान्य होंगे।
- **प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी)–सबके लिए आवास के सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.mohua.gov.in पर Login कर सकते हैं।**

पंजीकरण/चयन की नियम व शर्तें

- **आवेदन आफलाइन माध्यमों से किये जायेंगे।**
- ऐसे आवेदक जिन्होंने भारत सरकार / राज्य सरकार की किसी आवासीय योजना के अन्तर्गत अनुदान / छूट का लाभ प्राप्त करके आवास प्राप्त किया हो, ऐसे लाभार्थी पात्र नही होंगे।
- पंजीकृत लाभार्थी का सत्यापन उसके आधार नम्बर जो केन्द्र सरकार / सूडा / डूडा / नगर निगम / नगर पालिका में पंजीकृत होंगे, के आधार पर किया जायेगा। पंजीकृत / अपंजीकृत आवेदक के आवेदन पत्र सूडा से सत्यापन के उपरान्त ही पात्रता की श्रेणी मे अनुमन्य होंगे।
- आवासों का आवंटन एस.एल.एस.एम.सी. द्वारा यथा अनुमोदित पारदर्शी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए शासन द्वारा गठित समिति के माध्यम से किया जायेगा।
- आवंटन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् चयनित पात्र लाभार्थियों के नाम परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर प्रदर्शित किये जायेगें।
- पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध सम्पत्ति की संख्या से अधिक होने पर सार्वजनिक लाटरी के आधार पर आवंटन किया जायेगा। असफल आवेदकों को उनके द्वारा जमा की गयी धनराशि बिना ब्याज के परिषद द्वारा निर्धारित बैंक से एक माह में आवेदक के द्वारा अपने आवेदन में अंकित किए गये बचत बैंक खाते में (NEFT/RTGS) के माध्यम से, वापस कर दी जायेगी।
- पात्र लाभार्थियों को लाटरी की नियत तिथि, स्थान, समय की सूचना उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर एस0एम0एस0 के माध्यम से तथा समाचार पत्र में भी विज्ञप्ति के माध्यम से प्रसारित करायी जायेगी।

- यदि कोई पंजीकृत आवेदक लाटरी ड्रा की तिथि से पूर्व अपनी जमा पंजीकरण धनराशि वापस लेना चाहता है, तो उसकी लिखित सहमति के आधार पर उसका पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि बिना कटौती, बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।
- यदि कोई आवेदक लाटरी में चयनित होने के बाद, परन्तु प्रदेशन–पत्र में निर्धारित धनराशि जमा करने के अन्तिम तिथि से पूर्व पंजीकरण निरस्त करने का आवेदन करता है, तो पंजीकरण धनराशि में से 20 प्रतिशत की कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी। प्रदेशन पत्र जारी होने के 3 माह पश्चात पंजीकरण/आवंटन निरस्त कराने पर पंजीकरण धनराशि की 50 प्रतिशत कटौती करके शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।
- भारत सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा आवंटित सम्पत्ति पर प्रभारित कर यथा, जी0एस0टी0, गृहकर, जलकर आदि का भुगतान आवंटी को स्वयं वहन करना होगा।
- आवेदक के पक्ष में फ्लैट/भवन आवंटन के शेष धनराशि रू0 3,45,000/–(तीन लाख पैतालीस हजार मात्र) पर 9.0 प्रतिशत ब्याज सहित 05 वर्ष (60 मासिक किश्तों) का निर्धारण किया जायेगा।

(A) सम्पत्ति आवंटन हेतु प्रदेशन पत्र/माँग पत्र निर्गत होने की तिथि से 05 वर्ष की 60 मासिक किश्ते 9.00% ब्याज की दर के अनुसार देय होगी।

(B) किसी भी भुगतान में विलम्ब की दशा में अवशेष धनराशि पर 9.00% सामान्य ब्याज की दर के साथ 02 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज की दर से देय होगा।

- उ0प्र0 भू–सम्पदा(विनियम एवं विकास) अधिनियम की शर्तों के अनुसार अनुबन्ध निष्पादन किया जायेगा। चयन में सफल आवेदकों को आवंटित सम्पत्ति का आवंटन/मांग पत्र निर्गत से पूर्व भू–सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम–2016 के अधीन विहित प्रारूप पर विक्रय करार निष्पादित कराना होगा।
- फ्लैट/भवन के कब्जा हेतु नियमानुसार किश्त किराया किरायेदारी अनुबन्ध (रूपया 500 के स्टाम्प पेपर पर) निष्पादित कराते हुए, कब्जा सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने पर फ्लैट/भवन का कब्जा दिया जायेगा।
- आवंटी द्वारा नियमानुसार फ्लैट/भवन का मूल्य व अन्य समस्त देयक परिषद खाते में भुगतान के उपरान्त, (कर एवं निबन्धन विभाग द्वारा समय समय पर जारी शासनादेश के अनुसार) रू0 500/–स्टाम्प पेपर व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी के पश्चात् पट्टा विलेख/लीज डीड निष्पादन की कार्यवाही की जायेगी।
- एक मुश्त भुगतान करने वाले आवेदको को आवंटन में वरीयता दी जायेगी एवं उनकी सार्वजनिक लाटरी पहले की जायेगी।

आरक्षणः

उ0प्र0 आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या 1022/आठ–1–18–93विविध/2018 दिनांक 11.07.2018 के क्रम मे, प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) के अर्न्तगत लाभार्थियों को आवंटित किये जाने वाले भवनो में ''वरीयता नीति'' व्यवस्था निम्नानुसार की गई है–

(अ) वर्टिकल वरीयता

क0 सं0	श्रेणी	वर्टिकल वरीयता
1	अनुसूचित जाति	21%
2	अनुसूचित जनजाति	2%
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27%

(ब) हारिजेंटल वरीयता

क0 सं0	श्रेणी	हारिजेंटल वरीयता	कोड
1	दिव्यांगजन	05% (वरीयता–भूतल के भवन / फ्लैट)	D
2	विधवा / एकल महिला	08%	W
3	उभयलिंगी (Transgender)	0.5%	T
4	अल्प संख्यक	अन्य पिछड़ा वर्ग में पूर्व से अनुमन्य है।	M
5	वरिष्ठ नागरिक	10% (वरीयता–भूतल के भवन / फ्लैट)	S

- आरक्षण के लिये सक्षम अधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- संबंधित आरक्षण श्रेणी का सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

नोट : उ.प्र. शासन द्वारा अन्य किसी श्रेणी / वर्ग को आरक्षण / वरीयता निर्धारित किया जाता है, तदनुसार आरक्षण / वरीयता अनुमन्य होगा।

आवंटन :

- आवेदकों की सूची जिलाधिकारी / अध्यक्ष सूडा को प्रेषित की जायेगी एवं वह इस सूची का भौतिक सत्यापन करते हुये वेलिडेटेड सूची, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को उपलब्ध करायेंगे। वेलिडेटेड सूची के आवेदकों को ही लॉटरी में सम्मिलित किया जायेगा। असत्यापित आवेदकों के आवेदन पत्र निरस्त समझे जायेंगे।
- आवंटी विद्युत कनेक्शन, संबंधित विभाग से अपने खर्चे पर स्वयं लेगा।
- लॉटरी का परिणाम सार्वजनिक रूप से परिषद वेबसाइट www.upavp.in पर उपलब्ध होगा।
- आवंटी द्वारा भवन का प्रयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिये ही किया जायेगा।
- इस योजना की किसी भी शर्त में संशोधन का अधिकार आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को होगा तथा ऐसे संशोधन आवेदकों / आवंटियों को मान्य होंगे।
- भविष्य में केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा इस योजना के संबंध में लिये गये निर्णय, आवेदक द्वारा मान्य होंगे।

आवंटी/आवेदक की मृत्यु की दशा में :

- यदि आवेदक / आवंटी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पंजीकरण / उसको आवंटित भवन उसके उत्तराधिकारियों को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर नियमानुसार अद्यतन भुगतान करने पर यथास्थिति हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

भवनों का कब्जा :

- भवनों का निर्माण आगामी दो वर्ष में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है, किन्तु भवनों का कब्जा पूर्व में निर्गत शासनादेश के अधीन विभिन्न विभागों द्वारा विकास कार्यों के पूर्ण किये जाने के अनुसार अनुमन्य होगा।

- परिषद द्वारा सूचित अवधि में पट्टा विलेख न कराने एवं भवन का कब्जा न लेने पर आवंटी को नियमानुसार विलम्ब/रख–रखाव शुल्क प्रति माह देय होगा।

- योजना की सेवाओं का स्थानीय निकाय को हस्तान्तरण होने तक उनका रख–रखाव विकासकर्ता द्वारा किया जायेगा। योजनार्न्तगत निर्मित भवनों में कामन सुविधाओं के रख–रखाव हेतु उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट अधिनियम 2010 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। विकास कर्ता द्वारा भवन के नियमित अनुरक्षण हेतु भवन के निर्धारित मूल्य की 01 प्रतिशत की धनराशि का अनुरक्षण फण्ड तथा वृहद एवं आकस्मिक अनुरक्षण कार्यो हेतु भवन के निर्धारित मूल्य के 01 प्रतिशत धनराशि का कारपस फण्ड बनाया जायेगा। उक्त दोनों फण्ड में संपूर्ण धनराशि का योगदान लाभार्थियों द्वारा किया जायेगा। उक्त धनराशि भवन के सामान्य मूल्य के अतिरिक्त होगी। उक्त भवनों के पूर्ण होने के उपरान्त प्रथम कब्जे की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक परिषद द्वारा अनुरक्षित किया जायेगा। 5 वर्ष से पूर्व आर.डब्लू.ए. का गठन हो जाने की स्थिति में साझा क्षेत्रों एवं सामूहिक सुविधाओं का हस्तान्तरण होने के पश्चात अनुरक्षण फण्ड एवं कारपस फण्ड की अवशेष धनराशि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को हस्तगत कर दी जायेगी।

- प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीन भवन के सम्पूर्ण मूल्य व अन्य व्ययों के भुगतान के उपरान्त शासनादेश संख्या 3188/आठ–1–13–80विविध/2010 दिनांक 05.12.2013 के प्रस्तर–2 के अनुसार ई0डब्लू0एस0 व एल0आई0जी0 भवनों का विक्रय/हस्तान्तरण आवंटन की तिथि से 05 वर्षों तक प्रतिबन्धित है। परन्तु किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा उक्त भवनों के लिये दिये गये त्रृण की वसूली हेतु बन्धक रखे गये भवन की नीलामी/विक्रय हेतु उक्त प्रतिबन्ध लागू नही होगा, किन्तु नीलामी/विक्रय से प्राप्त धनराशि से सर्वप्रथम शासकीय सब्सिडी की वसूली की जायेगी, तत्पश्चात बैंक द्वारा अपने त्रृण की वसूली की जायेगी। उपरोक्त दोनों धनराशि की वसूली के पश्चात कोई धनराशि बचती है तो वह धनराशि परिषद को वापस हो जायेगी। निर्माण के उपरान्त लाभार्थी के पक्ष मे औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये एवं पंजीकरण अनुबन्ध निष्पादित कराते हुये कब्जा दिया जायेगा। 5 वर्ष की अवधि के बाद ही विक्रय विलेख निष्पादित किया जायेगा। 5 वर्ष की अवधि में आवंटी द्वारा उक्त इकाई का उपयोग स्वयं हेतु नही किया जाता है, तो आवंटन निरस्त करते हुये उक्त इकाई परिषद में निहित हो जायेगी तथा आवंटी को कोई धनराशि देय नही होगी।

भवनों के निर्माण हेतु भूमि एवं वाह्य विकास कार्य की व्यवस्था–

- आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 1131/ आठ–1–17–106 विविधि/2018 दिनांक 11.07.2018 द्वारा प्रधानमन्त्री आवास योजना(शहरी) घटक अफोर्डबल हाउसिंग इन–पार्टनरशिप के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

- शासन के आदेश संख्या–1878/आठ–1–18–80 विविध/2010/दिनांक 17 अक्टूबर, 2018 के अनुसार प्रधानमन्त्री आवास योजना(शहरी) के घटक अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनों के वाह्य विकास कार्य निम्नानुसार विभिन्न विभागों/कार्यदायी संस्था के द्वारा कराये जाने है :–

1— एप्रोच रोड एवं ड्रेन/सीवर

(अ) नगर के मुख्य मार्ग से योजना परिसर को जोड़ने वाली एप्रोच रोड उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप बिटुमिन्स रोड के रूप में लोक निर्माण विभाग के विभागीय बजट से निर्मित की जायेगी।

(ब) एप्रोच रोड के दोनों ओर वृक्षारोपण का कार्य वन विभाग द्वारा अपने विभागीय बजट से किया जायेगा। जनपद स्तर पर अन्य स्रोतों से भी वृक्षारोपण हेतु धनराशि की व्यवस्था जिलाधिकारी द्वारा की जा सकती है।

(स) योजना परिसर से नगर के मुख्य नाले तक जोड़ने वाली ट्रंक सीवर का निर्माण नगर निगम स्थानीय नगर निकाय द्वारा किया जायेगा। इस कार्य हेतु बजट की व्यवस्था नगर विकास विभाग द्वारा की जायेगी।

(द) योजना परिसर के निकटवर्ती नगर के क्षेत्र में सीवर प्रणाली होने की स्थिति में परिसर से नगर के मुख्य सीवर को जोड़ने वाली ट्रंक सीवर का निर्माण उ0प्र0 जल निगम/नगर निगम/स्थानीय निकाय (नगर पालिका/नगर परिषद) द्वारा किया जायेगा। इस कार्य हेतु बजट की व्यवस्था नगर विकास विभाग द्वारा की जायेगी।

2. बाह्य जलापूर्ति

(अ) योजना के प्रत्येक पाकेट में ओवर–हेड–टैंक(आवश्यकतानुसार) नलकूप राइजिंग मेन, पम्पिंग–प्लान्ट तथा पम्प हाउस का निर्माण उ0प्र0 जल निगम द्वारा वाटर सप्लाई मैनुअल के अनुसार किया जायेगा, जिसके लिये वास्तविक कार्य की लागत के आधार पर बजट की व्यवस्था नगर विकास विभाग द्वारा की जायेगी तथा पेयजल का स्रोत समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

(ब) पम्प हाउस में विद्युत संयोजन की कार्यवाही उ0प्र0 जल निगम द्वारा अपने उपरोक्त विभागीय बजट से करायी जायेगी तथा पेय जलापूर्ति हेडवर्क्स रख–रखाव हेतु नगर निकाय को हस्तगत की जायेगी।

3. बाह्य विद्युतीकरण

(अ) योजना के प्रत्येक पाकेट में बाह्य विद्युतीकरण उ0प्र0 पावर कारपोरेशन द्वारा किया जायेगा, जिसके लिये वास्तविक लागत के अनुसार शासन स्तर से विद्युत वितरण प्रणाली हेतु आवंटित अपने विभागीय बजट के माध्यम से करायी जायेगी।

(ब) बाह्य विधुतीकरण के अन्तर्गत सब–स्टेशन, ट्रान्सफार्मर लगाना, भूमिगत एल0टी0 लाईन तथा भवनों में विद्युत संयोजन का कार्य (फीडर पिलर के माध्यम से) सम्मिलित होगा।

(स) भवनों में विद्युत संयोजन के अर्न्तगत एल.टी. लाईन से भवनों के ब्लाक्स में स्टेअर केस पर मीटर पैनल जोड़ने का कार्य सम्मिलित रहेगा।

(द) मेंन स्विच लगाने व मेंन स्विच से प्रत्येक भवन तक विद्युतीकरण का कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा भवन की निर्धारित लागत में सम्मिलित रहेगा।

उपरोक्त कार्य शासन द्वारा परिषद को धनराशि उपलब्ध कराये जाने पर परिषद द्वारा भी सम्पादित कराये जा सकेगें।

भवनों/फ्लैटों हेतु निर्धारित बैंकों का विवरण

निर्धारित बैंक शाखाओं का विवरण जहाँ से पंजीकरण पुस्तिका प्राप्त करने एवं पंजीकरण आवेदन पत्र (पंजीकरण धनराशि सहित) जमा करने की सुविधा उपलब्ध है

क्र०	योजना/शहर का नाम	बैंक एवं बैंक अधिकारी का नाम		बैंक का पता एवं मोबाइल नं०			
		NAME	BANK	ADDRESS	MOBILE NO.	ACCOUNT NO.	IFSC CODE
1	हाथरस (ग्राम–रमनपुर तहसील–सदर)	KULDEEP SINGH	AXIS BANK	GROUND FLOOR DEV COMPLEX ALIGARH ROAD HATHRAS	8630462224	920010040956246	UTIB0001692
2	मैनपुरी (औडेण्य पडरीया)	RAHUL AGARWAL	AXIS BANK	MAINPURI	8936910931	919010083363179	UTIB0001692
3	मुरादाबाद मझोला योजना संख्या–4 सेक्टर–15	AMAN VATS	INDULSND BANK	CIVIL LINES MORADABAD	8299546451	150733734735	INDB0000151
4	इटावा, स्पिनिंग मिल योजना	INDER PREET SINGH SETHI	HDFC BANK	614/1/2/3 KATRA FATEH MAMOOR KHAN OLD AGRA KANPUR ROAD ETAWAH	9935033726	50100320737918	HDFC0009596
5	फतेहपुर (अन्दौली विनोबानगर)	MOHD IQBAL	HDFC BANK	UTSAV PALACE CIVIL LINES FATEHPUR	9792491000	50100294994496	HDFC0001903
6	बांदा ग्राम–लडाकापुरवा	JITENDRA SINGH	HDFC BANK	153/25 AMAR CINEMA COMPLEX MOHALLA GULAR NAKA BANDA	9389459347	50100321838505	HDFC0001950
7	कानपुर देहात ग्राम–आलमचन्द्रपुर तहसील–अकबरपुर	SACHIN SRIVASTAVA	HDFC BANK	MATI ROAD AKBARPUR NEAR ACH HOSPITAL KENPUR DEHAT	8795843737	50100340693832	HDFC0001903
8	कन्नौज (छिबरामऊ)	ASHUTOSH GUPTA	HDFC BANK	MALIK COMPLEX MG ROAD KANNAUJ	7042853322	50100342353884	HDFC0001903
9	हरदोई (तत्यौरा, परगना–बावन)	GAURAV TANDON	AXIS BANK	HARDOI	8874207591	919010083363182	UTIB0001692
10	रायबरेली (ग्राम–देवानन्दपुर तहसील–सदर)	SUNNY MEHROTRA	ICICI BANK	RAEBARIELLY	9695756235	628101106327	ICIC0006281
11	मेरठ जागृति विहार योजना सेक्टर–8ए	ROHIT MALHOTRA	HDFC BANK	SURYANSH PLAZA 171/1 TARU KUNJ GARH ROAD MEERUT	9810345863	50100347976235	HDFC0001911
12	गाजियाबाद मण्डोला विहार योजना सेक्टर–19	SAMEEKSHA PANDEY	HDFC BANK	G-2 & G-3 WINDSOUR PARK, 5 VAIBHAV KHAND INDIRAPURAM GHAZIABAD	9958787719	50100274342482	HDFC0004729

13	गोण्डा सिविल लाइन्स योजना	SANTOSH KUMAR SHUKLA	HDFC BANK	HOUSE NO. 144 MOHAN TOWER STATION ROAD GONDA	8090124258	50100291409166	HDFC0001901
14	बहराइच (भिन्नगा मार्ग योजना)	ABDUL SHAFEEQUE	HDFC BANK	1180 DIGIHA GONDA ROAD BEHRAICH	9838564131	50100291409192	HDFC0000866
15	मऊ (बढुआ गोदाम) तहसील–सदर	MEHRAN ALI KHAN	HDFC BANK	JYOTI TOWER SHAHADATPURA MAUNATH BHANJAN MAU	8009803151	50100098178879	HDFC0001910
16	बलरामपुर (ग्राम–धूधुलपुर)	DEEP NARAYAN	HDFC BANK	JANKIBALLABH COMPLEX VEER VVINAY CROSSING BALRAMPUR	9956299910	50100291409179	HDFC0001886
17	बाराबंकी ग्राम–बड़ेल, तहसील–नवाबगंज	SHIVENDRA KUMAR	INDLSND BANK	BARABANKI	9889354002	150782783784	INDB0000435

परिषद के अधिकारियों का विवरण

क्र० सं०	योजना/शहर का नाम	सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारियों का नाम एवं मोबाइल नं.	जोनल अधिकारी का नाम	मोबाइल नं०
1	हाथरस (ग्राम–रमनपुर तहसील–सदर)	श्री नरेन्द्र सिंह, सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी मो0 8795811851	श्री देश दीपक सिंह, सहायक आवास आयुक्त	8795810019
2	मैनपुरी (औडेण्य पडरीया)	श्री अखिलेश कुमार मिश्रा, 7705002883	श्री देश दीपक सिंह, सहायक आवास आयुक्त	8795810019
3	मुरादाबाद मझोला योजना संख्या–4 सेक्टर–15	श्री अमित शुक्ला, 8795811648	श्री लक्ष्मण प्रसाद, उप आवास आयुक्त	8795810015
4	इटावा, स्पिनिंग मिल योजना	श्री हरेन्द्र कुमार गुप्ता, 8795810912	श्री अजय नारायण सिंह, उप आवास आयुक्त	8189081004
5	फतेहपुर (अन्दौली विनोबानगर)	श्री अनिल कुमार गुप्ता 7705002891	श्री के0सी0 श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता	8795810178
6	बांदा ग्राम–लडाकापुरवा	–	श्री अजय नारायण सिंह, उप आवास आयुक्त	8189081004
7	कानपुर देहात ग्राम–आलमचन्द्रपुर तहसील–अकबरपुर	–	श्री अजय नारायण सिंह, उप आवास आयुक्त	8189081004
8	कन्नौज (छिबरामऊ)	–	श्री अजय नारायण सिंह, उप आवास आयुक्त	8189081004
9	हरदोई (तत्यौरा, परगना–बावन)	श्री महबूब खान, 8795810954	श्री प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी, उप आवास आयुक्त	8795810012
10	रायबरेली (ग्राम–देवानन्दपुर तहसील–सदर)	श्री पी0के0 उपाध्याय 8795810744	श्री प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी, उप आवास आयुक्त	8795810012
11	मेरठ जागृति विहार योजना सेक्टर–8ए	श्री केशव राम, 7705003066	श्री राजीव कुमार अधीक्षण अभियन्ता	8588877002
12	गाजियाबाद मण्डोला विहार योजना सेक्टर–19	श्री केशव राम, 7705003066	श्री राजीव कुमार अधीक्षण अभियन्ता	8588877002
13	गोण्डा सिविल लाइन्स योजना	श्री मुकेश पाल, मो0 8795810970	श्री आर0सी0 यादव, अधीक्षण अभियन्ता	8795810092
14	बहराइच (भिन्नगा मार्ग योजना)	श्री मुकेश पाल, मो0 8795810970	श्री आर0सी0 यादव, अधीक्षण अभियन्ता	8795810092
15	मऊ (बढुआ गोदाम) तहसील–सदर	श्री अमित कुमार सिंह, 8795811821	श्री के0सी0 श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता	8795810178
16	बलरामपुर (ग्राम–धूधुलपुर)	श्री मुकेश पाल, मो0 8795810970	श्री आर0सी0 यादव, अधीक्षण अभियन्ता	8795810092
17	बाराबंकी ग्राम–बड़ेल, तहसील–नवाबगंज	श्री मुकेश पाल, मो0 8795810970	श्री आर0सी0 यादव, अधीक्षण अभियन्ता	8795810092

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए.एच.पी घटक के अन्तर्गत सी.एस.एम.सी. से स्वीकृत परियोजनाओं के अन्तर्गत पंजीकरण खोले जाने हेतु प्रस्तावित भवनों का विवरण

क0सं0	जनपद/स्थल का नाम	पंजीकरण हेतु प्रस्तावित भवनो की संख्या	रेरा पंजीयन संख्या
1.	2	3	**4**
1	हाथरस (ग्राम–रमनपुर तहसील–सदर)	48	**UPRERAPRJ504901**
2	मैनपुरी (औडेण्य पडरीया)	96	**UPRERAPRJ860406**
3	मुरादाबाद मझोला योजना संख्या–4 सेक्टर–15	144	**UPRERAPRJ685451**
4	इटावा, स्पिनिंग मिल योजना	48	**UPRERAPRJ362532**
5	फतेहपुर (अन्दौली विनोबानगर)	96	**UPRERAPRJ768148**
6	बांदा ग्राम–लडाकापुरवा	48	**UPRERAPRJ658600**
7	कानपुर देहात ग्राम–आलमचन्द्रपुर तहसील–अकबरपुर	48	**UPRERAPRJ134466**
8	कन्नौज (छिबरामऊ)	48	**UPRERAPRJ709744**
9	हरदोई (तत्यौरा, परगना–बावन)	96	**UPRERAPRJ968069**
10	रायबरेली (ग्राम–देवानन्दपुर तहसील–सदर)	96	**UPRERAPRJ340768**
11	मेरठ जागृति विहार योजना सेक्टर–8ए	96	**UPRERAPRJ930149**
12	गाजियाबाद मण्डोला विहार योजना सेक्टर–19	624	**UPRERAPRJ552035**
13	गोण्डा सिविल लाइन्स योजना	48	**UPRERAPRJ814610**
14	बहराइच (भिन्नगा मार्ग योजना)	48	**UPRERAPRJ772651**
15	मऊ (बढ़ुआ गोदाम) तहसील–सदर	48	**UPRERAPRJ704819**
16	बलरामपुर (ग्राम–धूधुलपुर)	48	**UPRERAPRJ113803**
17	बाराबंकी ग्रम–बड़ेल, तहसील–नवाबगंज	48	**UPRERAPRJ506045**

भवनों का विवरण

क0सं0	जोन का नाम	जनपद / स्थल का नाम	सी.एस.एम.सी.स्वीकृत भवनों के सापेक्ष पंजीकरण हेतु अवशेष भवन	रू0 6.00 लाख के विक्रय मूल्य पर पंजीकरण हेतु प्रस्तावित भवनो की संख्या
1	2	3	4	5
1	आगरा जोन	हाथरस (ग्राम–रमनपुर तहसील–सदर)	144	48
2	आगरा जोन	मैनपुरी (औडेण्य पडरीया)	528	96
3	बरेली जोन	मुरादाबाद मझोला योजना संख्या–4 सेक्टर–15	1200	144
4	कानुपर जोन	इटावा, स्पिनिंग मिल योजना	192	48
5	कानुपर जोन	फतेहपुर (अन्दौली विनोबानगर)	624	96
6	कानुपर जोन	बांदा ग्राम–लडाकापुरवा	240	48
7	कानुपर जोन	कानपुर देहात ग्राम–आलमचन्द्रपुर तहसील–अकबरपुर	480	48
8	कानुपर जोन	कन्नौज (छिबरामऊ)	96	48
9	लखनऊ जोन	हरदोई (तत्यौरा, परगना–बावन)	528	96
10	लखनऊ जोन	रायबरेली (ग्राम–देवानन्दपुर तहसील–सदर)	528	96
11	मेरठ जोन	मेरठ जागृति विहार योजना सेक्टर–8ए	816	96
12	मेरठ जोन	गाजियाबाद मण्डोला विहार योजना सेक्टर–19	6000	624
13	गोरखपुर जोन	गोण्डा सिविल लाइन्स योजना	528	48
14	गोरखपुर जोन	बहराइच (भिन्नगा मार्ग योजना)	192	48
15	वाराणसी जोन	मऊ (बढुआ गोदाम) तहसील–सदर	192	48
16	गोरखपुर जोन	बलरामपुर (ग्राम–धूधुलपुर)	288	48
17	गोरखपुर जोन	बाराबंकी ग्राम–बड़ेल, तहसील–नवाबगंज	288	48

योजना/शहर का कोड संख्या

क्र०सं०	योजना/शहर का नाम	पंजीकरण हेतु प्रस्तावित भवनो की संख्या	कोड संख्या
1	हाथरस (ग्राम–रमनपुर तहसील–सदर)	48	**13**
2	मैनपुरी (औडेण्य पडरीया)	96	**14**
3	मुरादाबाद मझोला योजना संख्या–4 सेक्टर–15	144	**12**
4	इटावा, स्पिनिंग मिल योजना	48	**07**
5	फतेहपुर (अन्दौली विनोबानगर)	96	**08**
6	बांदा ग्राम–लडाकापुरवा	48	**09**
7	कानपुर देहात ग्राम–आलमचन्द्रपुर तहसील–अकबरपुर	48	**10**
8	कन्नौज (छिबरामऊ)	48	**11**
9	हरदोई (तत्यौरा, परगना–बावन)	96	**15**
10	रायबरेली (ग्राम–देवानन्दपुर तहसील–सदर)	96	**16**
11	मेरठ जागृति विहार योजना सेक्टर–8ए	96	**01**
12	गाजियाबाद मण्डोला विहार योजना सेक्टर–19	624	**18**
13	गोण्डा सिविल लाइन्स योजना	48	**02**
14	बहराइच (भिन्नगा मार्ग योजना)	48	**03**
15	मऊ (बढुआ गोदाम) तहसील–सदर	48	**04**
16	बलरामपुर (ग्राम–धूधुलपुर)	48	**05**
17	बाराबंकी ग्राम–बड़ेल, तहसील–नवाबगंज	48	**06**

प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश

- दुर्बल आय वर्ग की सुविधा के दृष्टिगत आवदेन पत्र आफलाइन स्वीकार्य होंगे।
- आवदेन पत्र पंजीकरण पुस्तिका, जिसमें सम्पूर्ण विवरण उल्लिखित है, को निर्धारित बैंक एवं सशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। एक व्यक्ति एक ही पंजीकरण पुस्तिका क्रय कर सकता है।
- आवेदन पत्र के सभी कॉलम भरना अनिवार्य है, जिसमें अपने खाते का विवरण (खाता संख्या, बैंक का नाम एवं शाखा तथा आई.एफ.एस.सी. संख्या) अंकित करना अनिवार्य है। सार्वजनिक लाटरी में असफल आवेदकों की जमा पंजीकरण की धनराशि की वापसी में सुविधा होगी।
- सम्पूर्ण प्रविष्टि के उपरान्त पंजीकरण के निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन पत्र संबंधित बैंक में जमा करना होगा।
- अपूर्ण सूचना के साथ भरे आवेदन पत्र जमाकर्ता बैंक द्वारा स्वीकार नही किया जायेगा।
- आवेदन पत्र जमाकर्ता बैंक से प्राप्त जमा रसीद को सुरक्षित रखेंगे तथा जमा रसीद पर अंकित संख्या महत्वपूर्ण है।
- आवेदन पत्र में वांछित सूचना यथा आरक्षण एवं अन्य से संबंधित प्रमाणित दस्तावेज आवेदन पत्र मे संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
- सार्वजनिक लाटरी से एक सप्ताह पूर्व परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर आवेदनकर्ताओं की सूची प्रदर्शित होगी।
- डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक ''उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद'' के पक्ष में देय होना चाहिए।
- आवेदन पत्र को नीली स्याही से ही भरा जायेगा।
- पंजीकरण पुस्तिका विक्रय हेतु निर्धारित बैंको द्वारा पंजीकरण पुस्तिका विक्रय करते समय ही पंजीकरण पुस्तिका में संलग्न आवेदन पत्र पर बैंक की मुहर लगाकर हस्ताक्षर किये जायेंगे।

IS 15700 : 2018
सेवोत्तम प्रमाणित

रू0 10/-के स्टैम्प पेपर पर (नोटरी द्वारा सत्यापित) समक्ष उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

शपथ-पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी...उम्र................................वर्ष.........................पुत्र/पुत्री/पत्नी.... ....निवासी.. शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ:

1. मैं एतद्द्वारा शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मैंने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों, शर्तों, दशाओं विशेष सूचनाओं की परिभाषा, पंजीकरण के इस चरण की प्रक्रिया, जिसका उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है, को स्पष्ट समझ लिया तथा मैं इसके पालन का वचन देता/देती हूँ।

2. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने अथवा मेरे पति/पत्नी तथा आश्रित बच्चे ने पहले परिषद की किसी योजना के अन्तर्गत मेरे आवेदन पत्र में उल्लिखित नगर के लिये पंजीकरण हेतु आवेदन नहीं किया है।

3. जिस नगर अथवा क्षेत्र के लिए मैं आवेदन कर रहा/रही हूँ उसमें मेरा अथवा मेरे पति/पत्नी या आश्रित बच्चों के नाम कोई आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं है। तथा मेरे या मेरे परिवार के नाम भारत वर्ष अथवा उ0प्र0 राज्य के अन्य किसी नगर/शहर में कोई भी भवन/भूखण्ड नहीं है।

4. यदि भूमि अर्जन के प्रतिकर के संबंध में माननीय न्यायालय के आदेश द्वारा अथवा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में अपरिहार्य कारण से (जी+3) प्रकार के भवन के मूल्य में वृद्धि होगी तो उसका निर्धारित नियमों के अनुरूप भुगतान करूगाँ/करूँगी।

5. यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने पर श्री/श्रीमती/सुश्री........ जो रिश्ते में मेरे/मेरी...................... हैं एवं खून के संबंधी हैं, को इस पंजीकरण के नामान्तरण हेतु प्रथम वरीयता पर नामित करती/करता हूँ। प्रथम वरीयता के नामान्तरी की मृत्यु होने पर इसी कम मे श्री/श्रीमती/सुश्री......................................जो मेरे/मेरी................. हैं एवं खून के संबंधी हैं, को इस पंजीकरण हेतु द्वितीय वरीयता पर नामित करता/करती हूँ।

6. मै पंजीकरण पुस्तिका का भलीभांति अध्ययन करने के उपरान्त निर्दिष्ट समस्त शर्तो/प्रतिबन्धो का अनुपालन करूँगा/करूँगी। यदि मेरे द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को मेरा आवंटन निरस्त करने एवं पंजीकरण धनराशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

7. मेरे द्वारा आवेदन पत्र मे स्वयं का खाता संख्या/बैंक/शाखा अंकित किया गया है वह संचालित रहेगा।

8. मैं शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि गत वित्तीय वर्ष .... में समस्त श्रोतों से मेरी कुल वार्षिक आय (रू0 3,00,000 से अधिक नही थी) जिसमें मेरे परिवार के समस्त सदस्यों एवं आश्रित संबंधियों की आय सम्मिलित है।

9. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास घटक के अन्तर्गत केन्द्र सरकार/सूडा/डूडा में आवेदित व्यक्ति की पंजीकरण संख्या......................................आधार नम्बर..............................पंजीकृत है।

10. मैं एतद्द्वारा शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि धारा 1 से 9 में कहा गया कथन सर्वथा सत्य है। यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मेरे द्वारा कोई असत्य विवरण जान-बूझकर परिषद को दिया गया है, तो परिषद को मेरे विरूद्ध कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणा-

- मैं एतद्द्वारा शपथ बयान करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त कमांक 1 से क्रमांक 10 तक की दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है। यदि भविष्य मे सरकार/उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा कोई भी दिशा निर्देश दिये जाते हैं तो वह मेरे द्वारा मान्य होंगे।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय लखनऊ

परिषद में
ग्राहकों की शिकायतों
व समस्याओं के निस्तारण के लिए

जन-सुविधा केन्द्र

की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा
अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं

डायल करें : 1800-180-5333 (टोल फ्री)
0522-2236803

यह सेवा प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध है

IS 15700 : 2018
सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ
Website : www.upavp.in, E-mail : info@upavp.com

मूल्य ₹ 100/– (जी.एस.टी. सहित)

maheshwaripress@gmail.com